



संदेश

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

हिंदी की सरलता, मौलिकता, सुग्राह्यता और स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए, 14 सितंबर, 1949 को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को स्थान दिया। इसी के आलोक में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

जिस प्रकार गंगा हिमालय की गोद से निकलकर संपूर्ण मैदानी भाग के करोड़ों कंटों की प्यास बुझाते हुए गंगासागर के जल में मिश्रित होकर संपूर्ण विश्व के जल से मिल जाती है उसी प्रकार हिंदी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश या अवहट्ट की वाशा करते हुए भारत भूमि के करोड़ों लोगों के हृदय में खड़ी बोली के रूप में सृजित होती है। यह न केवल भारत भूमि के लोगों के हृदय में उतरती है बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी सहजता, सरलता और वैज्ञानिकता के कारण स्वीकार की जाती है।

उत्तरोत्तर विकास करते हुए भारत देश की प्रगति में हिंदी की भूमिका और योगदान अतुलनीय है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कहा जाए तो 'भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है।' स्वतंत्रता पूर्व से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति की संवाहिका के रूप में हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी के महान लेखक भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने कहा है:

निज भाषा उन्नति अहे,
सब उन्नति का मूल
बिनु निज भाषा ज्ञान के
मिटत न हिच के मूल

राजभाषा नियमों का पालन करना केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत प्रत्येक कार्मिक का संवैधानिक दायित्व है। अतः इस अवसर पर मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग करें। मूल टिप्पणी व पत्राचार हिंदी में ही करें। अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करें। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम यह संकल्प लेते हैं कि हम अपना सरकारी कार्य हिंदी में करने के अपने संवैधानिक और नैतिक दायित्वों का पालन पूरी श्रद्धा से करते रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित।

नई दिल्ली
दिनांक: 14 सितंबर, 2024

(धर्मेन्द्र प्रधान)